(वाद सं0–5580/4/28/2021)

02.05.2022

परिवादी, देवमुनी कुमारी, अपनी पुत्री, चेतना कुमारी, के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी व उसके संतानों को उसके पड़ोसी, सिपाही आशुतोष बहादुर, द्वारा छेड़छाड़ करने तथा उसकी पुत्री, मनीषा कुमारी, के साथ बलात्कार का प्रयास करने से संबंधित है।

उक्त पर पुलिस अधीक्षक, रोहतास तथा पुलिस अधीक्षक, बक्सर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, बक्सर के प्रतिवेदन के साथ पुलिस उपाधीक्षक (मु0), बक्सर का प्रतिवेदन अनुलग्निन है। पुलिस अधीक्षक, बक्सर व साथ अनुलग्निन पुलिस उपाधीक्षक (मु0), बक्सर के प्रतिवेदनानुसार परिवादी तथा उसके विपक्षी, आशुतोष बहादुर, दोनों पड़ोसी है तथा दोनों का घर एक जगह है। छोटी–छोटी बातों को लेकर उनदोनों के बीच गाली–गलौज होते रहता है। प्रतिवेदनानुसार परिवादी की बेटी के द्वारा मोबाईल में बनाये गये फोटो/विडियों में किसी प्रकार का उत्तेजित करने वाली बात प्रदर्शित नहीं हुआ है। परिवादी के विपक्षी, आशुतोष बहादुर का परिवार घर पर रहते है, जहां परिवादी उसके परिवार को उलहना देती है।

पुलिस अधीक्षक, रोहतास के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्न्ति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रोहतास सासाराम के प्रतिवेदनानुसार परिवादी, देवमुनी कुमारी एवं उनके विपक्षी, आशुतोष बहादुर का मकान एक ही जगह सटा हुआ है। परिवादी के घर में एक पालतु कुत्ता है जिसे परिवादी के पुत्र घूमने के लिये खोल देते है और वह कुत्ता विपक्षी, आशुतोष बहादुर के खेलते हुए बच्चों पर भौकनें लगता है। इसी बात को लेकर परिवादी के साथ विपक्षी, आशुतोष बहादुर की पत्नी रिंकु देवी के साथ तु–तु मैं–मैं हुआ था। घटना के दिन ही दरिगांव थाना द्वारा घटना की जांच कराया गया और दोनों पक्षों के बीच शांति बनाये रखने हेतु दं0प्र0स0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी तथा थाना स्तर से निगरानी रखी जा रही है।

उपरोक्त पर परिवादी की ओर से समर्पित प्रत्युत्तर के अनुसार घटना के बाद परिवादी द्वारा घटना के संबंध में दरिगांव थाना के थानाध्यक्ष को एक लिखित शिकायत की गयी थी, लेकिन उनके द्वारा विपक्षी, आशुतोष बहादुर, जो एक सिपाही है, के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वयं परिवादी की एक पुत्री, चेतना कुमारी, भी पुलिस बल में कार्यरत हैं।

आज सुनवाई के क्रम में परिवादी से इस संबंध में पूछताछ की गयी कि क्या उनकी ओर से घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर न्यायालय में घटना के संबंध में कोई परिवाद दाखिल किया गया था? उनके द्वारा बताया गया कि कथित घटना को लेकर न तो कोई मामला पुलिस के समक्ष विचाराधीन है और न ही उनकी ओर से न्यायालय में ही कोई परिवाद दाखिल किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना के दूसरे ही दिन परिवादी द्वारा घटना के संबंध में दरिगांव थानाध्यक्ष के समक्ष लिखित शिकायत की गयी थी, जिसमें विपक्षी, आशुतोष बहादुर, द्वारा परिवादी की पुत्री के साथ बलात्कार करने से संबंधित तथ्य का उल्लेख नहीं है। मात्र विपक्षी व उसकी पत्नी रिंकू देवी द्वारा परिवादी की पुत्र व पुत्रियों के साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने व स्त्री लज्जा भंग करने का उल्लेख किया गया है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन घटना को लेकर कोई मामला पुलिस के समक्ष विचाराधीन नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में **पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम को यह अनुशंसा की जाती है कि परिवादी व उनके बच्चों के समुचित सुरक्षा हेतु संबंधित थाना को यथोचित निर्देश दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्क कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम को भेजते हुए इसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी भेज दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक